Q:- SARFAESI एक्ट क्या है ? इसके प्रमुख घटक क्या - क्या हैं ? इसके सफलता की भारत में विवेचना करें ।

SARFAESI Act

इसका पूरा नाम - Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest act है । यह 2002 में आया । इसका निर्माण Debt recovery Tribunal में हो रही देरी एवं लंबित केस के कारण हुआ ।

घटक

SARFAESI act एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक एवं अन्य वित्तिय संस्थान Non-marketable assets को marketable assets में बदल सकते हैं अथवा ऋण वसूली हेतु व्यवसायिक व आवासीय संपत्तियों पर बोली भी लगवा सकते हैं। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं -

→ इस अधिनियम में S का तात्पर्य Securitisation से है जिसका अर्थ ऋण वसूल करने हेतु बैंक व अन्य वित्तिय संस्थान किसी Assets की नीलामी कर सकती है अथवा किसी अन्य कंपनी को सौंप सकती है।

→ Reconstruction of financial assets का तात्पर्य जो Asset reconstruction company देखती है कि Assets management के अभाव में खराब हुई है या तो इसका अच्छे से Management करती है एवं नहीं तो इसे बेच देती है।

→ Enforcement of financial assets का तात्पर्य है कि बैंक अथवा अन्य वित्तिय संस्थान ऋण वसूली के लिए किसी न्यायालय में जाए बिना ही सीधे Assets को बेच सकती है।

भारत में सफलता का विवेचना

BHOPAL
Established since 1990

1993 से पूर्व बैंकों को ऋण वसूली के लिए न्यायालय में जाना पड़ता था। 1993 के बाद Debt tribunal आया जिससे लंबित मामले कम हुए परंतु फिर भी 93000 मामले लंबित थे। इसके बाद जब 2002 में SARFAESI अधिनियम आया तब भारत में बैंकों एवं अन्य वित्तिय संस्थानों को काफी आसानी से ऋण वसूली होने लगी।

इसके तहत कर्जदाता कर्ज देते वक्त security जमा करते हैं एवं

अगर ऋण वसूली नहीं हो पाती तब इसे Asset reconstruction companies को बेच देते हैं। इन कंपनियों के Qualified Buyers से लिंक होता है। जो इन Assets के पैसे कंपनी को देते हैं एवं कम्पनि इसे बैंक को दे देती है जिससे बैंक का NPA कम होता है।

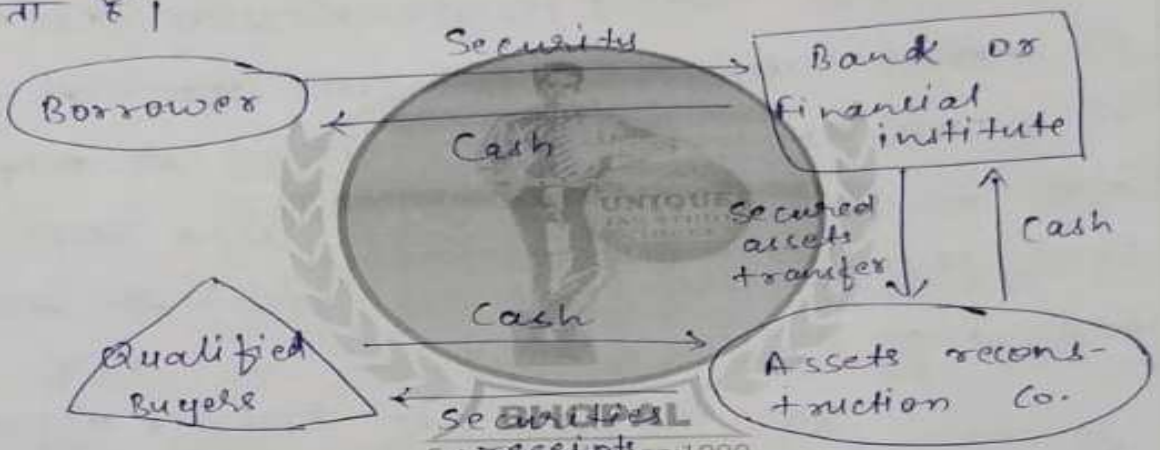

निष्कर्ष

SARFAESI अधिनियम आने से भारतीय सर्फ व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है क्योंकि बैंकों का NPA कम हुआ है। परंतु अभी भी लंबित मामलों को जल्दी निपटारा करने हेतु इस अधिनियम में भी संशोधन होते रहते हैं। जैसे - 2016 के संशोधन जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया।